



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227978  
CG-DL-E-29062021-227978

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]  
No. 361]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

संख्या 34/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 449 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, यथा-

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	विवरण	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15 11 10 00	कच्चा पॉम आयल	10%
2.	1511 90	सभी वस्तुएं (आरबीडी पॉम आयल, आरबीडी पामोलीन, आरबीडी पॉम स्टेयरिन और ऐसा कोई पॉम आयल जो कच्चे पॉम आयल से भिन्न हो)	37.5%

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2021 को लागू होगी और 30 सितम्बर, 2021 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/87/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

# **MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2021

### **No. 34/2021-Customs**

**G.S.R. 449 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely -

S. No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description	Standard Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	10%
2.	1511 90	All goods (RBD Palm Oil, RBD Palmolein, RBD Palm Stearin and any Palm Oil other than Crude Palm Oil)	37.5%

2. This notification shall come into effect on 30<sup>th</sup> June 2021 and will remain in force upto and inclusive of the 30<sup>th</sup> September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/87/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.